

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 20th Sept., 2018.

ALL CONCERNED

Sub: Recruitment of sportspersons (Weightlifting) against Sports Quota as per new weight categories – clarification regarding.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2018/E(Sports)/4(1)/9/Policy Clarifications dated 28/08/2018 (RBE No. 124/2018) (Clarification/Corrigendum No. 98) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Railway Board's earlier letter dated 31/12/2010, as referred in Board's present letter, was communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial Nos. 05/2011.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

P. Chatterjee
(P. Chatterjee)

Sr. Personnel Officer/ W & IR
for Principal Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2018/E(Sports)/4(1)/9/Policy Clarifications dated 28/08/2018 (RBE No. 124/2018) (Clarification/Corrigendum No. 98) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

Sub. : Recruitment of sportspersons (Weightlifting) against Sports Quota as per new weight categories – Clarification regarding.

Ref. : Railway Board's policy letter No. 2010/E(Sports)/4(1)/1(Policy) dated 31.12.2010 (RBE No.189B/2010).

Indian Weightlifting have advised the revised weight categories for Weightlifting competitions at International and National levels:-

Senior and Junior Men 10 Nos.

55 kg., 61 Kg., 67 Kg., 73 Kg., 81 Kg., 89 Kg., 96 Kg., 102 Kg., 109 Kg. and + 109 kg.

Senior and Junior Women 10 Nos.

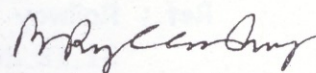
45 kg., 49 kg., 55 kg., 59 kg., 64 Kg., 71 kg., 76 kg., 81 kg., 87 kg. and +87 kg.

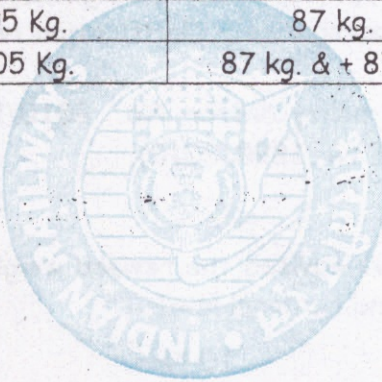
2. Accordingly, for recruitment of male and female Weightlifters against sports quota for the year 2018-19 through Talent Scouting and Open Advertisement, Railways/Units shall follow the following guidelines:-

- i) Recruitment of Weightlifters against sports quota shall be as per new weight categories mentioned below in table. The instructions shall be applicable to all the cases which have not been finalized (where trials are yet to be conducted) till issue of the instructions.
- ii) However, the Weightlifters who are eligible to be recruited in terms of criteria mentioned in above mentioned policy letter, of medal/performance/participation, shall be continued to be treated as eligible for recruitment and trials.

- iii) The eligibility for recruitment & trials for considering the cases of Weightlifters having recognized sports achievements as per old and new weight categories, shall be as under:-

Weight Categories in Men		Revised Weight Categories in Women	
New Weight Categories (Kg.)	Equivalent Old Weight Categories (Kg.) for Recruitment & Trails	New Weight Categories (Kg.)	Equivalent Old Weight Categories (Kg.) for Recruitment & Trails
55 kg.	56 Kg.	45 kg. & 49 kg.	48 Kg.
61 Kg.	62 Kg.	55 kg.	53 Kg.
67 Kg. & 73 Kg.	69 Kg.	59 kg.	58 Kg.
81 kg.	77 Kg.	64 Kg.	63 Kg.
89 Kg.	85 Kg.	71 kg.	69 Kg.
96 Kg.	94 Kg.	76 kg. & 81 kg.	75 Kg.
102 Kg.	105 Kg.	87 kg.	90 Kg.
109 Kg. & +109 kg.	+105 Kg.	87 kg. & + 87 kg.	+90 Kg.


(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director / Estt (Sports)



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. २०१८/ई(स्पोर्ट्स)/४(१)/९/पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स

नई दिल्ली, दिनांक ३१ अगस्त, २०

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलों सहित
चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., रे.डि.का., आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: नई भार कोटियों के अनुसार खेल-कूद कोटे के तहत खिलाड़ियों (भारोत्तोलन) की भर्ती के संबंध
स्पष्टीकरण ।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक ३१.१२.२०१० का नीतिगत पत्र सं. २०१०/ई(स्पोर्ट्स)/४(१)/१ (पॉलि
(आरबीई सं. १८९बी/२०१०)

भारतीय भारोत्तोलन संघ ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धाओं की संशोधित ३
कोटियों के संबंध में निम्नानुसार सूचित किया है:-

सीनियर एवं जूनियर पुरुष १०

५५ कि.ग्रा, ६१ कि.ग्रा, ६७ कि.ग्रा, ७३ कि.ग्रा, ८१ कि.ग्रा, ८९ कि.ग्रा, ९६ कि.ग्रा, १०२ कि.ग्रा, १०९ कि.ग्रा, ३
+१०९ कि.ग्रा।

सीनियर एवं जूनियर महिला १०

४५ कि.ग्रा, ४९ कि.ग्रा, ५५ कि.ग्रा, ५९ कि.ग्रा, ६४ कि.ग्रा, ७१ कि.ग्रा, ७६ कि.ग्रा, ८१ कि.ग्रा, ८७ कि.ग्रा, ३
+८७ कि.ग्रा।

२. तदनुसार, रेलें/इकाइयां, टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के तहत प
तथा महिला भारोत्तोलकों की भर्ती के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी:-

- खेल-कूद कोटे के तहत भारोत्तोलकों की भर्ती नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित नई भार कोटियों
अनुसार की जाएगी। ये अनुदेश उन सभी मामलों में लागू होंगे, जिन्हें इन अनुदेशों के जारी होने त
अंतिम रूप (जहां अभी ट्रायल लिए जाने हैं) नहीं दिया गया है।

- ii) बहरहाल, उन भारोत्तोलकों, जो उक्त उल्लिखित नीति पत्र में दिए गए मानदंड के अनुसार भर्ती के पात्र हैं, के पदक/प्रदर्शन/सहभागिता को भर्ती और ट्रायल के लिए पात्रता के रूप में विचार किया जाएगा।
- iii) उन भारोत्तोलकों, जिनके पास पुरानी और नई भार कोटियों के अनुसार मान्यताप्राप्त खेल-कूद उपलब्धियां मौजूद हैं, के मामलों पर विचार करने के लिए भर्ती और ट्रायल के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी:-

पुरुषों में भार कोटि		महिलाओं में संशोधित भार कोटि	
नई भार कोटि (कि.ग्रा.)	भर्ती और ट्रायल के लिए समकक्ष पुरानी भार कोटि (कि.ग्रा.)	नई भार कोटि (कि.ग्रा.)	भर्ती और ट्रायल के लिए समकक्ष पुरानी भार कोटि (कि.ग्रा.)
55 कि.ग्रा.	56 कि.ग्रा.	45 कि.ग्रा. एवं 49 कि.ग्रा.	48 कि.ग्रा.
61 कि.ग्रा.	62 कि.ग्रा.	55 कि.ग्रा.	53 कि.ग्रा.
67 कि.ग्रा. एवं 73 कि.ग्रा.	69 कि.ग्रा.	59 कि.ग्रा.	58 कि.ग्रा.
81 कि.ग्रा.	77 कि.ग्रा.	64 कि.ग्रा.	63 कि.ग्रा.
89 कि.ग्रा.	85 कि.ग्रा.	71 कि.ग्रा.	69 कि.ग्रा.
96 कि.ग्रा.	94 कि.ग्रा.	76 कि.ग्रा. एवं 81 कि.ग्रा.	75 कि.ग्रा.
102 कि.ग्रा.	105 कि.ग्रा.	87 कि.ग्रा.	90 कि.ग्रा.
109 कि.ग्रा. एवं +109 कि.ग्रा.	+105 कि.ग्रा.	87 कि.ग्रा. एवं + 87 कि.ग्रा.	+ 90 कि.ग्रा.

(भास्कर रॉय चौधरी)
उप निदेशक/स्थापना (स्पोर्ट्स)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/9/पॉलिसी क्लेरिफिकेशनस

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कुमार
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड